अध्याय 1
प्रस्तावना

1.1 दामोदर घाटी निगम का पार्श्वचित्र

दामोदर घाटी निगम (निगम) झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के अन्दर आने वाली दामोदर नदी घाटी का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (अधिनियम) के अन्तर्गत जुलाई 1948 में गठन किया गया था। निगम की भागीदार सरकारें केन्द्र सरकार, झारखण्ड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकारें हैं। दामोदर घाटी निगम में विद्युत के उत्पादन तथा वितरण, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, मिट्टी संरक्षण तथा अन्य सामाजिक कार्यकलापों में लगा है। निगम के 6 स्थानों पर कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्र और 3 स्थानों पर हाइडल केन्द्र हैं। मार्च 2014 तक इसकी 5857.2 मे.वा.[1] (ताप 5710 मे.वा. तथा हाइडल 147.2 मे.वा.) की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है।

चित्र 1 विदयत

1.2 संगठनात्मक ढांचा

निगम के मामलों का प्रबन्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अध्यक्ष के साथ बोर्ड द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त बोर्ड में सदस्य (सचिव), सदस्य (तकनीकी), सदस्य (वित्त), केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और झारखण्ड सरकार से प्रत्येक एक प्रतिनिधि और तीन स्वतन्त्र विशेषज्ञ सिंचाई, जल आपूर्ति तथा विद्युत उत्पादन अथवा संचरण अथवा वितरण के क्षेत्र से प्रत्येक से एक होते हैं।

1.3 वित्तीय निष्पादन

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसरण में निगम के उत्पादन तथा संचरण टैरिफ केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और वितरण टैरिफ

[1] मे.वा.- मेगावाट

राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसीएस) अर्थात झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग तथा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। मार्च 2014 को समाप्त गत सात वर्षों के लिए उत्पादित, बेची गई विद्युत और कर बाद अर्जित लाभ के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

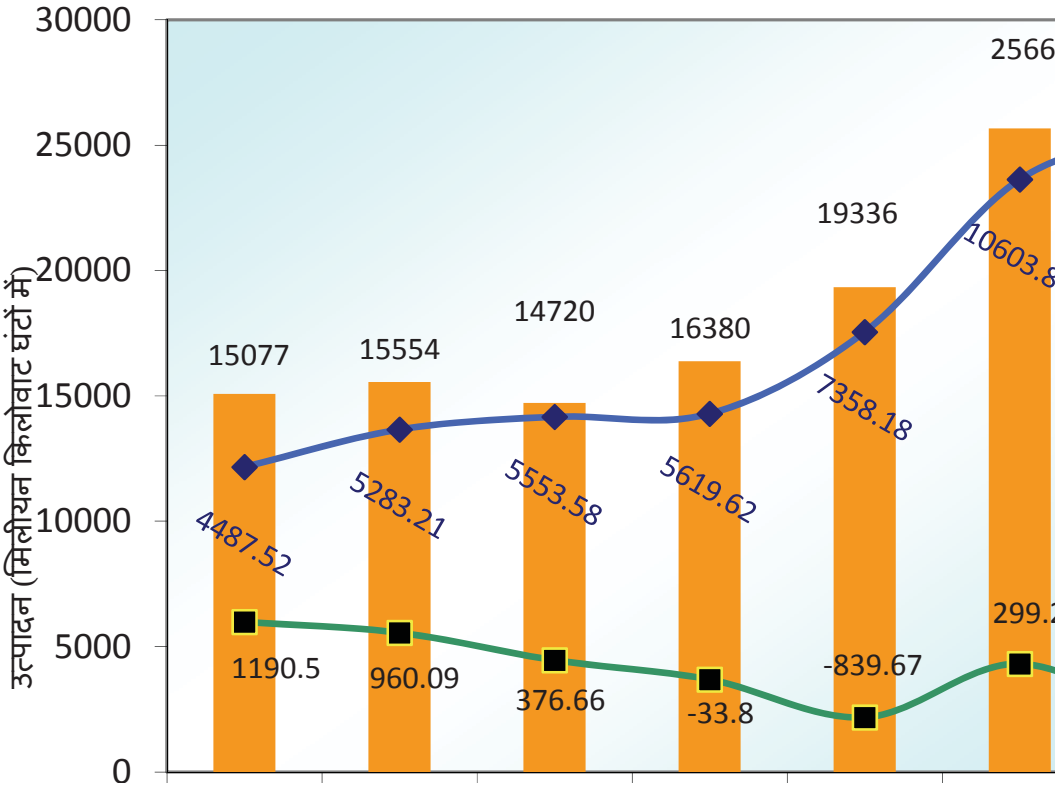

चित्र: 1 निगम का निष्पादन

1.4 क्षमता वृद्धि कार्यक्रम और इसकी प्रगति

''2012 तक सभी के लिए विद्युत'' मुहैया कराने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) ने 11वीं योजना में 68,869 मे.वा. का क्षमता वृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया जिसमें कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना 46635 मे.वा. थी। निगम ने 11वीं योजना अवधि के दौरान 6250 मे.वा. (इसकी स्वयं की नौ यूनिटों[2] से 4700 मे.वा. की पांच परियोजनाएं और संयुक्त उद्यम मार्ग के माध्यम से चार यूनिटों[3] से

[2] मेजिया ताप विद्युत केन्द्र (एमटीपीएस) - II (2 X 500), कोडरमा ताप विद्युत केन्द्र (केटीपीएस) (2 X 500), बोकारो ताप विद्युत केन्द्र (बीटीपीएस) 'ए' (1 X 500), रघुनाथपुर ताप विद्युत केन्द्र (आरटीपीएस) (2 X 600), दुर्गापुर इस्पात ताप विद्युत केन्द्र (डीएसटीपीएस) (2 X 500)।

[3] मैथोन पावर लिमिटेड - संयुक्त उद्यम (एमपीएल-जेवी) (2 X 525), बोकारो इस्पात ताप विद्युत केन्द्र - संयुक्त उद्यम (बीएसटीपीएस -जेवी) (2 X 250)

1550 मे.वा. की दो परियोजनाएं) विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई (फरवरी 2009)। उपर्युक्त के अतिरिक्त 1000 मे.वा. की चालू चार यूनिटें थीं, जो 10वीं योजना की परियोजनाओं में छितरी थीं। तथापि 11वीं योजना अवधि के दौरान निगम केवल 1025 मे.वा. (अपनी स्वयं की परियोजना की 500 मे.वा. की एक यूनिट और संयुक्त उद्यम द्वारा 525 मे.वा. की दूसरी यूनिट) का प्रतिष्ठापन कर सका परिणामस्वरूप नीचे दिए अनुसार 5225 मे.वा. की कमी हुई। 10वीं योजना की छितरी सभी परियोजनाएं[4] 11वीं योजना अवधि के दौरान प्रतिष्ठापित की गई थीं। मार्च 2014 को परियोजनाओं के समापन की स्थिति निम्नवत है:

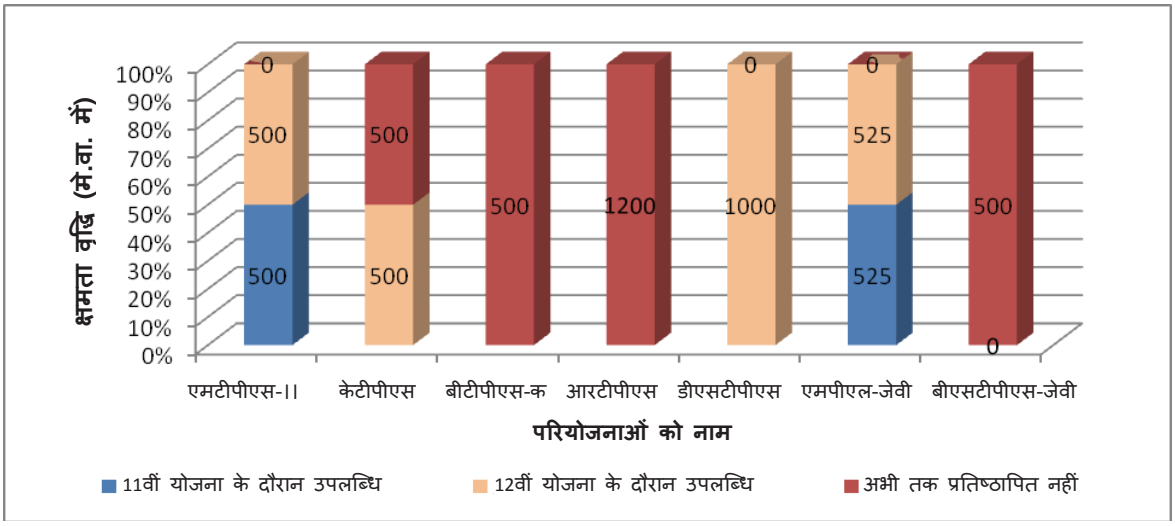

चित्र: 2 क्षमता वृद्धि की स्थिति

11वीं योजना के उपर्युक्त लक्ष्य में प्राप्ति में विलम्ब के कारणों का वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विश्लेषण किया गया था।

[4] चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र (सीटीपीएस) 7 एवं 8 (2 X 250) मेजिया ताप विद्युत केन्द्र (एमटीपीएस) 5 एवं 6 (2 X 250)